BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

O.A. No. 641 OF 2025

IN THE MATTER OF: -

M.P. Singh …Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Others …Respondents

NDOH – 03.02.2026

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Affidavit on behalf of the Respondent No. 4 Uttar Pradesh Pollution Control Board	**1-2**
2.	**ANNEXURE R4/1 (COLLY)** A true copy of the inspection report dated 29.01.2026	3-5
3.	**ANNEXURE R4/2 (COLLY)** A true copy of the divisional Forest Officer report dated 29.01.2026	6-27

Uttar Pradesh Pollution Control Board
Respondent No. 4

Through

AMIT SHUKLA
Advocate for the UPPCB
Office at : D- 54, Sector – 48, Noida – 201303
Email: amit.shukla@lexweb.in
Ph. No. +91 9999933220; 9999333220

Place: New Delhi
Date: 30.01.2026

NOTARIAL

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 641 of 2025

IN THE MATTER OF:

M.P Singh ...... Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors. ...... Respondents

AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO. 4, UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

I, Jagdamba Prasad Maurya, S/o Shri Darbari Lal Maurya, aged about 56 years, presently posted as the Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board at Lucknow do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That in the official capacity mentioned above, I am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such I am competent and authorized to swear this affidavit.

2. That this Hon'ble Tribunal has vide its order dated 22.12.2025 directed the Respondents to file their replies.

3. That the site in question was inspected on 28.01.2026. A true copy of the inspection report dated 29.01.2026 along with photographs are annexed herewith and marked as **Annexure R4/1.**

4. That a letter dated 23.01.2026 was sent to the Divisional Forest Officer seeking report on the incident alleged by the Applicant.

The inspection was conducted by the Asst. Divisional Forest Officer dated 27.01.2026. A true copy of the Divisional Forest Officer report dated 29.01.2026 are annexed herewith and marked as **Annexure R4/2.**

5. That the contents of the Affidavit are true and correct and nothing material has been concealed thereof.

DEPONENT

VERIFICATION:

NOTARY

Verified at Lucknow on this the 30th day of January 2026 that the contents of above affidavit are true and correct to my knowledge based on records and information received and believed to be true, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

Sworn and Verified before me

30/1/26

NOOR JAHAN
Advocate & Notary
Civil Court, Lucknow
Registration No 10943/11

NOTARY ★ NOORJAHAN Civil Court Lucknow (U.P.) Regn-10943/15 ★ GOVT. OF INDIA

I know & Identify the deponent / Executant who has signed/ put his T.I. before me

Adv

S J. Iqbal Advocate
Reg No 6043/1999
Adv

क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ।

ANNEXURE R4/1

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या–641/2025 M P Sing Versus State of UP & Ors. में पारित आदेश दिनांक 22/12/2025 के अनुपालन में स्थल की निरीक्षण आख्या–

उपरोक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 22/12/2025 के अंश निम्नवत् है–

4. Prima facie the averments made in the application raise substantial questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule-I to the National Green Tribunal Act, 2010.
5. In view of the averments in the application, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change, Government of U.P. (2) District Magistrate, Lucknow (3) Divisional Forest Officer, Lucknow, (4) Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) through Member Secretary (5) Central Pollution Control Board through Member Secretary (6) Uttar Pradesh Cooperative Sugar Mills Federation Ltd through its Managing Director who stand impleaded as respondents No. 1 to 06.
6. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application. 8
7. Mr. Bhanwar Pal Singh Jadon, Advocate has appeared and accepted notices on behalf of respondents no. 1 to 3.
8. The Registry is directed to issue notices to respondents No. 4, 5 and 6 along with copy of the original application and documents attached with the same.
9. Responses by the respondents no. 1 to 06 may be filed within four weeks.

उपरोक्त माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 22/12/2025 के अनुपालन में उत्तर प्रदेशीय सहकारी गन्ना समिति संघ लि0, 12, राणाप्रताप मार्ग, लखनऊ में वृक्षों का अवैध पातन एवं अभिवहन किये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर आपके आदेशानुसार स्थल का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओ द्वारा दिनांक 28/01/2026 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री अजय सिंह, सहायक प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेशीय सहकारी गन्ना समिति संघ लि0 एवं श्री अभिलाषकान्त शर्मा, लिपिक गन्ना संघ उपस्थित थे। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:–

1. निरीक्षण के समय श्री अभिलाषकान्त शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेशीय सहकारी गन्ना समिति संघ लि0, 12, राणाप्रताप मार्ग, लखनऊ की बिल्डिंग बहुत पुरानी होने के कारण परिसर में लगे हुये पीपल, आम एवं सेमल के वृक्षों की पोलडिंग/कटाई हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, लखनऊ को वर्ष–2023 में पत्र प्रेषित किया गया था, परन्तु निरीक्षण के समय पत्र की प्रति प्राप्त नही करायी गयी। पेड़ों की पोलडिंग/कटाई का कार्य वर्ष–2023 में वन विभाग द्वारा किया गया था।
2. प्रकरण काफी पुराना होने के कारण वृक्षों के पोलडिंग/कटाई के सत्यापन के सम्बन्ध में श्री अभिलाषकान्त शर्मा, लिपिक गन्ना संघ द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में जिन वृक्षों की पोलडिंग/कटाई हुई थी, वह काफी बढ़ गये है, उनके द्वारा उत्तर प्रदेशीय सहकारी गन्ना समिति संघ लि0, 12, राणाप्रताप मार्ग, लखनऊ के परिसर में दिखाये गये वृक्षों के अक्षांश व देशान्तर सहित फोटोग्राफ संलग्न है।
3. इस कार्यालय के पत्रांक संख्या–1512/रिट याचिका–263/2026 दिनांक 23/01/2026 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ को उक्त के सम्बन्ध में आख्या प्रेषित किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था, जिसके अनुक्रम में उनके पत्र संख्या–6029/35–3 दिनांक 29/01/2026 के माध्यम से आख्या प्राप्त हुई है, जोकि संलग्न है।

उपरोक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेत सादर प्रस्तुत है।

29/1/26
(जितेन्द्र कुमार)
वैज्ञानिक सहायक

29/1/26
(सत्य [illegible])
सहा0पर्या0अभि0

क्षेत्रीय अधिकारी/महोदय,

29/1/26

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या–641 / 2025 **M P Sing Versus State of UP & Ors.** में पारित आदेश दिनांक 22 / 12 / 2025 के अनुपालन में स्थल उत्तर प्रदेशीय सहकारी गन्ना समिति संघ लि0, 12, राणाप्रताप मार्ग, लखनऊ के निरीक्षण दिनांक 28 / 01 / 2026 के समय लिये गये फोटोग्राफः–

Latitude: 26.853109
Longitude: 80.953237
Elevation: 116.79±2.5 m
Accuracy: 5.656 m
Time: 01-28-2026 11:00
Note: UP COOPERATIVE CANE UNIONS FED. LTD. 12 RANA PRATAP MARG
Powered by NoteCam

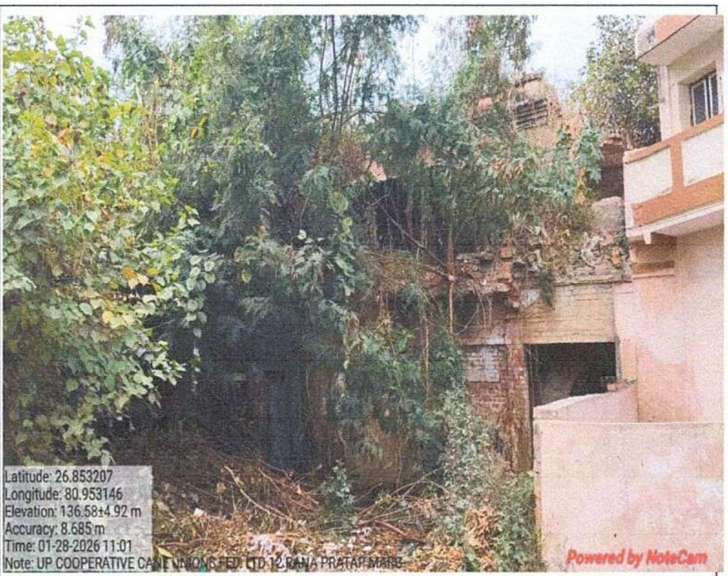
Latitude: 26.853207
Longitude: 80.953146
Elevation: 136.58±4.92 m
Accuracy: 8.685 m
Time: 01-28-2026 11:01
Note: UP COOPERATIVE CANE UNIONS FED. LTD. 12 RANA PRATAP MARG
Powered by NoteCam

LUCKNOW
उ० प्र० सहकारी गन्ना समिति संघ लिमिटेड
Latitude: 26.853385
Longitude: 80.953494
Elevation: 129.88±2.58 m
Accuracy: 7.661 m
Time: 01-28-2026 10:57
Note: UP COOPERATIVE CANE UNIONS FED. LTD. 12 RANA PRATAP MARG
Powered by NoteCam

Latitude: 26.852997
Elevation: 136.78±15.0 m
Accuracy: 6.762 m
Time: 01-28-2026 10:59

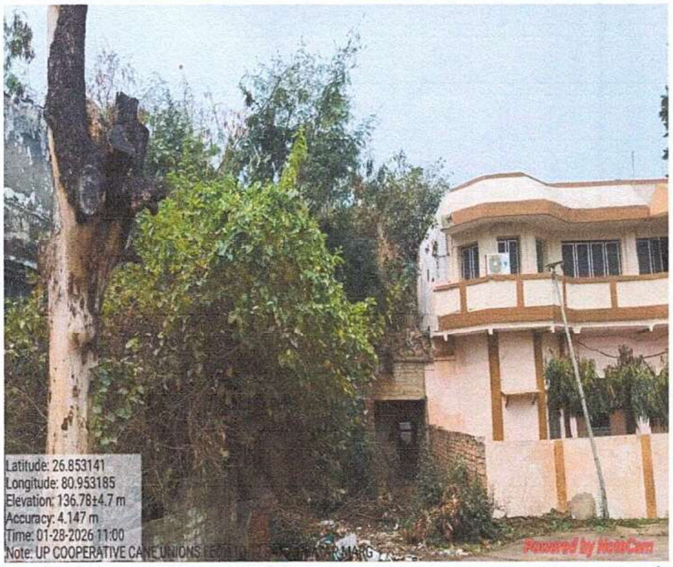
Latitude: 26.853141
Longitude: 80.953185
Elevation: 136.78±4.7 m
Accuracy: 4.147 m
Time: 01-28-2026 11:00
Powered by NoteCam

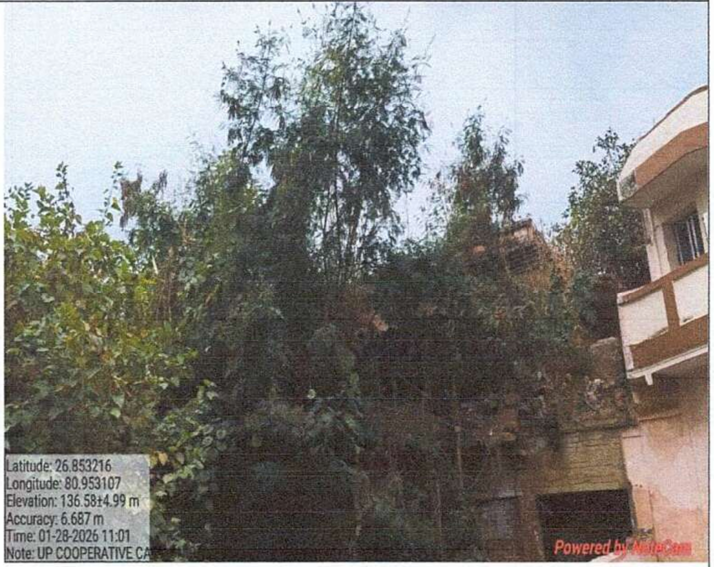
Latitude: 26.853216
Longitude: 80.953107
Elevation: 136.58±4.99 m
Accuracy: 6.687 m
Time: 01-28-2026 11:01
Powered by NoteCam

तार : पर्यावरण
GRAM : PARYAVARAN

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD LUCKNOW

क्षेत्रीय कार्यालय
Regional Office

सन्दर्भ संख्याः– 1512/रिट याचिका-263/26
Ref. No

दिनांक
Dated : 23/01/2026

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग,
लखनऊ।

मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण

विषयः–माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा ओ0ए0 संख्या–641/2025 एम0पी0 सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22/12/2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा ओ0ए0 संख्या–641/2025 एम0पी0 सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22/12/2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न)। उक्त पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् है–

5. In view of the averments in the application, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change, Government of U.P. (2) District Magistrate, Lucknow (3) Divisional Forest Officer, Lucknow, (4) Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) through Member Secretary (5) Central Pollution Control Board through Member Secretary (6) Uttar Pradesh Cooperative Sugar Mills Federation Ltd through its Managing Director who stand impleaded as respondents No. 1 to 06.
6. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application. 8
7. Mr. Bhanwar Pal Singh Jadon, Advocate has appeared and accepted notices on behalf of respondents no. 1 to 3.
8. The Registry is directed to issue notices to respondents No. 4, 5 and 6 along with copy of the original application and documents attached with the same.
9. Responses by the respondents no. 1 to 06 may be filed within four weeks.
10. List on 03.02.2026 for further consideration.
11. The applicant may be informed about the next date of hearing fixed and be asked to join the proceedings physically or through V.C. on that date. ...."

अतः उपरोक्त पारित आदेश दिनांक 04/07/2025 की प्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही की आख्या इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे ससमय आख्या माननीय एन0जी0टी0 में दाखिल किये जाने हेतु बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की जा सके।

संलग्नक :–यथोपरि।

भवदीय

(जे0पी0 मौर्य)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–5), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

•PICUP Bhawan, 4th, B-Block Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 •पिकप भवन, चतुर्थ तल, बी–ब्लाक, गोमती नगर,लखनऊ–226010
Email: rolucknow@uppcb.in

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांक /35–3 लखनऊ दिनांक 29 जनवरी, 2026

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक / मुख्य वनसंरक्षक
लखनऊ मण्डल,
उ0प्र0,लखनऊ।

विषयः- मा0 एन0जी0टी0 में दायर ओ0ए0 संख्या-641/2025 महेन्द्र पाल सिंह बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य के प्रस्तवार आख्या का अनुमोदन।

सन्दर्भः- इस कार्यालय की पत्र सं0-6018/35-3 दिनांक 28-01-2026 एंव पत्र संख्या-6019 दिनांक 28-01-2026।

महोदया,

विषयांकित प्रकरण उ0प्र0 सहकारी गन्ना समिति संघ लि0, 12 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ के परिसर में हुए अवैध कटान से संबधित है, जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 22-12-2025 को आदेश पारित किये गये (प्रति संलग्न)। उक्त पारित आदेश के क्रम में हुए अवैध कटान की जॉच उप प्रभागीय वनाधिकारी मोहनलालगंज के द्वारा किया गया है। जॉच आख्या के क्रम में प्रस्तवार आख्या तैयार कर अनुमोदन हेतु इस कार्यालय की पत्र सख्या-6018/35-3 दिनांक 28-01-2026 द्वारा मुख्य वन संरक्षक कोर्ट केस लखनऊ को प्रेषित करते हुए प्रति शपथ पत्र दाखिल किये जाने हेतु इस कार्यालय की पत्र संख्या-6019/35-3 दिनांक 28-01-2026 द्वारा समस्त अभिलेख एडवोकेट माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (श्री भंवर पाल सिहं जादौन) 121 न्यू लायर चैम्बर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुरोध किया गया है।

अतः आप अपने स्तर से प्रस्तरवार आख्या का अनुमोदन हेतु उच्च स्तर को लिखने की कृपा करे।

संग्लनक- उपरोक्तनुसार।

भवदीय

(सितान्शु पाडेण्य)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

पत्रांक–6029 /35–3 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-12-2025 के प्रति एंव संक्षिप्त इतिहास प्रस्तवार आख्या की प्रति संग्लन कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित।

1-जिलाधिकारी, लखनऊ।

2-सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

3-क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ को उनके पत्र सख्या-1512/2-63/26 दिनांक 23-01-2026।

(सितान्शु पाडेण्य)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
LUCKNOW
क्षेत्रीय कार्यालय
Regional Office

पत्र संख्या- 1512 | रिट याचिका- 263/26
Ref. No

दिनांक
Dated : 23/01/2026

मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण

सेवा में,
प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग,
लखनऊ।

विषयः—माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा ओ0ए0 संख्या—641/2025 एम0पी0 सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22/12/2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा ओ0ए0 संख्या—641/2025 एम0पी0 सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22/12/2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न)। उक्त पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् है—

5. In view of the averments in the application, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change, Government of U.P. (2) District Magistrate, Lucknow (3) Divisional Forest Officer, Lucknow, (4) Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) through Member Secretary (5) Central Pollution Control Board through Member Secretary (6) Uttar Pradesh Cooperative Sugar Mills Federation Ltd through its Managing Director who stand impleaded as respondents No. 1 to 06.
6. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application. 8
7. Mr. Bhanwar Pal Singh Jadon, Advocate has appeared and accepted notices on behalf of respondents no. 1 to 3.
8. The Registry is directed to issue notices to respondents No. 4, 5 and 6 along with copy of the original application and documents attached with the same.
9. Responses by the respondents no. 1 to 05 may be filed within four weeks.
10. List on 03.02.2026 for further consideration.
11. The applicant may be informed about the next date of hearing fixed and be asked to join the proceedings physically or through V.C. on that date. ...."

ओ.फ. / Cham / प्र0अ0आ0 / 28/1/26

अतः उपरोक्त पारित आदेश दिनांक 04/07/2025 की प्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही की आख्या इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे ससमय आख्या माननीय एन0जी0टी0 में दाखिल किये जाने हेतु बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की जा सके।

संलग्नक :—यथोपरि।

भवदीय
ह0/-
(जे0पी0 मौर्य)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः—
1. जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त—5), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–641/2025 एम0पी0 सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.12.2025 के कम में संक्षिप्त इतिहास–

श्री महेन्द्र पाल सिंह, डी0–636/102, जयनगर तकरोही, जिला लखनऊ द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में उक्त याचिका योजित की गयी जिसमें निम्न संस्था को प्रतिवादी नामित कर मा0 न्यायालय को अवगत कराया गया–

1–प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, विभाग, उ0प्र0 शासन।

2–जिलाधिकारी, लखनऊ।

3–प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

4–सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

5– सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

6–प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल फेडरेशन लि0।

उ0प्र0 सहकारी गन्ना समिति संघ के संयुक्त प्रबन्ध निदेशक के पत्र संख्या– 126–27/सामान्य दिनांक 23.07.2023 संलग्नक–1 द्वारा पीपल व यूकीलिपटस के वृक्षों के छंटान/ कटाने की अनुमति मांगी गयी थी। तदकम में जिला वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनउ के पत्र संख्या 1299/22–10 दिनांक 16.08.2023 संलग्नक–2 द्वारा जांचोपरान्त 02 पीपल, 01 आम व 01 सेमल कुल 04 वृक्षों की शाखाओं को तरासी की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ दी गयी थी कि, 35 सेमी० की गोलाई तक खतरनाक शाखों की तरासी की जायेगी। यह भी स्पष्ट किया गया था कि वृक्षों का स्वरूप नष्ट न होने पावे। तरासी से प्राप्त प्रकाष्ठ के अभिवन हेतु इमारती लकडी एवं वन उपज अभिवहन नियमावली 1978 यथा संशोधित में दिये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

उक्त स्वीकृति की आड़ में वृक्षों का अवैध पातन किये जाने की शिकायत प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग से मय फोटोग्राफ के की गयी। क्षेत्रीय वनाधिकारी, लखनउ द्वारा वन दरागा श्री रामअवध यादव से प्रकरण की जांच करायी गयी। जांच के समय वन दरोगा द्वारा शिकायत के साथ प्रस्तुत फोटोग्राफ को संज्ञान में नहीं लिया और वन अपराध में लिप्त कार्मिकों/अधिकारियों से मिली भगत करके मात्र 03 वृक्षों का अवैध पातन और 01 वृक्ष की अवैध पोलैंडिंग दर्शायी गयी और अभियुक्त श्री अभिलाशकान्त शर्मा से जुर्माना जमा कराकर प्रकरण को दाखिल दफ्तर करा दिया गया। जवकि कुल 13 वृक्षों का अवैध पातन किया गया है, जिससे संबंधित साक्ष्य इस पत्र के साथ संलग्न हैं।

वन दरोगा द्वारा इमारती लकडी एवं वन उपज अभिवहन नियमावली 1978 के प्राविधानों का उल्लंघन किये जाने को संज्ञान में नहीं लिया गया जबकि निजी दुग्ध वाहन से लकडी का अभिवहन किये जाने संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था। इस साक्ष्य के आधार पर उक्त नियमावली के नियम– 14 में निहित निम्न व्यवस्था को संज्ञान में लिया जाना चाहिए था,

14. अभिग्रहण करने की शक्ति

"जब यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी वृक्ष को इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में गिराया या काटा या हटाया गयाहै, तो ऐसे वृक्ष की लकडी, तथा ऐसे उल्लंघन में प्रयुक्त नाव, वाहन, वाहक या मवेशी यदि कोई हो, को किसी वन अधिकारी द्वारा जो वन रेन्जर से नीचे की पंक्ति का न हो या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा, जो उप निरीक्षक से नीचे की पंक्ति का न हो या राज्य सरकार इस निमित्त सशक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जब्त किया जायेगा।" शिकायत के साथ दुग्ध वाहन संख्याः यू०पी032 डीएन 3018 की लकड़ी से लदी हुई फोटो जो अपराध स्थल, उ०प्र० सहकारी गन्ना समिति संघ लि०, लखनउ के परिसर की है को वन दरोगा/क्षेत्रीय वनाधिकारी द्वारा संज्ञान में लेते हुए वाहन को जब्त करने के साथ–साथ लकडी को भी जब्त करने की कार्यवाही करनी चाहिए थी, किन्तु उनके द्वारा वाहन के नम्बर के आधार पर वाहन स्वामी का पता नहीं लगाया गया और वृक्ष संरक्षण हेतु निर्धारित व्यवस्था के विपरीत कार्य करके आरोपियों के साथ सांठ–गांठ करके अनैतिक कार्य किया गया है।

अवैध कटान व अभिवन से संबंधित साक्ष्य स्पष्ट होते हुए भी वन दरोगा द्वारा उक्त नियम को संज्ञान में न लिया जाना इस पूरे प्रकरण में उनकी संलिप्तता को दर्शाता है। वन दरोगा द्वारा जांच में निम्नवत त्रुटियों को छुपाया गया है।

1– 01 आम के वृक्ष की शाखाओं की जारी हेतु अनुमति दी गयी थी, किन्तु आम के पेड की शाखाओं को ऐसे तरासा गया कि उसका मूल स्वरूप ही समाप्त हो गया जिसकी पुष्टि में पूर्व में प्रस्तुत शिकायत के साथ संलग्न 1 पर फोटोग्राम दिया गया था, जिसकी प्रति पुनः संलग्न है। दूसरे आम के पेड़ को भी जड़ से काट दिया गया है जिसकी पुष्टि भी संलग्न फोटोग्राफ से होती है। अतः दी गयी अनुमति के विपरीत की गयी उक्त कार्यवाही को संज्ञान में लेने का कष्ट करें क्योंकि आपके अधीनस्थ वन दरोगा द्वारा जांच के समय उक्त स्थिति को संज्ञान में नहीं लिया गया है।

2– 01 सेमल के पेड की शाखाओं की तरासी हेतु दी गयी स्वीकृति के विपरीत उक्त पेड को जड से ही काटा दिया गया जिससे उक्त वृक्ष का मूल स्वरूप ही समाप्त हो गया।, जिसकी पुष्टि की जा सकती है।

3– यूकेलिप्टस के पेडों की तरासी/छटाई के अनुमति नहीं दी गयी थी, किन्तु 03 यूकिलिप्टस के पेडों को जड से काटकर उनके स्वरूप को ही समाप्त कर दिया गया। जिसकी पुष्टि स्थानीय निरीक्षण से की जा सकती है।

4– वन दरोगा की जांच में कुल 04 वृक्षों की अवैध कटान को सही बताया गया है, जबकि कुल 10 वृक्षों का अवैध पातन किया गया है। उ०प्र० सहकारी गन्ना समिति संघ द्वारा उक्त अवैध वृक्ष पातन का कार्य करके जहां एक ओर शासकीय नीतियों के विपरीत कार्यवाही की गयी है वहीं दूसरी ओर पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुँचाया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार रू0 5000/– प्रत्येक वृक्ष के पातन हेतु जुर्माने का प्राविधान है, जिसे संस्था से जमा न कराकर संघ के एक लिपिक श्री अभिलाश कान्त शर्मा से मात्र 12000/– जमा कराया गया है, जो नियमों के सर्वथा विपरीत है। श्री अभिलाश कान्त शर्मा द्वारा जुर्माना अदा किये जाने की स्थिति में अपराध की स्वीकारोक्ति की गयी है जो संस्था के अधिकारी श्री आर०डी० द्विवेदी की मिली भगत से घटित किया गया है।

5– इमारती लकडी एवं वन उपज अभिवहन नियमावली 1978 यथा संशोधित में दिये गये प्राविधानों का अनुपालन किये जाने की अपेक्षा आपके उक्त पत्र के माध्यम से की गयी थी, किन्तु उक्त नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत गन्ना संघ के परिसर से काटी गयी लकडी के अभिवहन हेतु नियमानुसार पास प्राप्त नहीं किया गया जबकि लकडी के अभिवहन हेतु निम्नानुसार फार्म– बी पर शपथ पत्र दिया जाना चाहिए था तथा फार्म सी पर अभिवहन शुल्क जमा करने की रसीद वन विभाग से प्राप्त करके संलग्न करनी चाहिए थी–

1. ऐसे वनोपज की मात्रा,
2. मालिक का नाम व पत्ता–
3. वह जोत जिसका खसरा खतौनी कमांक हो जहां से उफत प्राप्त की गयी हो तथा जोत आरक्षित वन की एक किलोमीटर की परिधि से बाहर हो ।
4. वृक्षों की संख्या एवं प्रजाति, और
5. वह स्थान जहां उपंज ले लागी जानी है।

संस्था द्वारा उक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है अपितु एक निजी दुग्ध वाहन से वृक्ष पातन उपरान्त लकसी को संघ परिसर से बाहर ले जाया गया है. जिसकी पुष्टि संलग्न फोटोग्राफ्स से स्वतः हो जाती है। इमारती लकडी एवं वन उपज अभिवहन नियमावली, 1978 जिसका पालन करना नितान्त आवश्यक था जैसाकि आप द्वारा निर्गत स्वीकृति पत्र में स्पष्ट उल्लिखित किया गया है. का अनुपालन नहीं किया गया है। इमारती लकडी एवं वन उपज अभिवहन नियमावली, 1978 का अनुपालन न किये

जाने संबंधी बिन्दु को आपके स्तर से पूर्व में क्षेत्रीय बनाधिकारी, शहरी रेन्ज, लखनउ से करायी गयी जांच के समय वन दरोगा द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया है।

7. स्वीकृति पत्र जो संयुक्त प्रबन्ध निदेशक श्री आर०डी० द्विवेदी को सम्बोधित है, में स्पष्टया उल्लिखित किया गया है कि, "अवैध कटान होने पर पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।" उक्त के संदर्भ में यह अवगत कराना है कि, संस्था के परिसर से जो भी अवैध कटान हुआ है वह समस्त तथ्य स्वीकृति प्राप्तकर्ता अधिकारी श्री आर०डी० द्विवेदी, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक के संज्ञान में रहे है, किन्तु उनके द्वारा इस बिन्दु पर मौन धारण किया गया है। यही नहीं इस पूरी घटना को अंजाम देने के वाले कार्मिक श्री अभिलाश कान्त शर्मा को पूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया है।

वन दरोगा द्वारा अपनी जांच में 13 अवैध वृक्ष पातन संबंधी तथ्य को छुपाते हुए मात्र 04 वृक्ष ही दर्शाये गये है और इमारती लकडी एवं वन उपज नियमावली 1979 के प्राविधानों का अनुपालन न किये जाने की स्थिति को संज्ञान में नहीं लिया गया और नियम–4/10 के अन्तर्गत निजी वाहन से अवैध वृक्ष पातन से प्राप्त लकड़ी को बाहर ले जाने संबंधी साक्ष्य को भी अनदेखा किया गया है, जबकि उक्त नियम के अन्तर्गत अवैध वृक्ष पातन से प्राप्त लकडी को नियम विरूद्ध अभिवहन किये जाने पर तत्काल उक्त वाहन को जब्त करने तथा संबंधित कार्मिक के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करनी चाहिए थी, जो नहीं की गयी।

इस संबंध में वन दरोगा का कथन है कि काटे गये वृक्षों के स्थान पर नये वृक्ष लगाने का कोई प्राविधान नहीं है और अवैध पातन की स्थिति में नियम 4/10 के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही के अतिरिक्त अन्य कोई कार्यवाही उनके स्तर से वांछित नहीं है। जबकि मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निम्न आदेशों के अनुक्रम में संज्ञान में लेने की कृपा करें–

"उत्तर प्रदेश सरकार के वकील मौजूद रहे. मा. न्यायालय ने उनके सबमिशन पर गौर करते हुए कहा कि 29 नवम्बर, 2024 को जारी आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के कार्यान्वयन के संबंध में अतिरिक्त सॉलिसिटर जरनल ने कहा है कि राज्य ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए टीटीजेड क्षेत्र में अवैध पेड़ों की कटाई में निम्नलिखित प्राविधानों के साथ जुर्माना लगाने के निर्देश दिये गये हैं:–

यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधित प्रजातियों के वृक्षों की अवैध कटाई करता है या किसान के अलावा कोई अन्य व्यक्ति छूट प्राप्त प्रजातियों के वृक्षों को काटता है तो विभागीय वन अधिकारी द्वारा प्रति वृक्ष 10000 रूपये का जुर्माना वसूला जाएगा इसके साथ ही लकडीको जब्त किया जाएगा और अवैध रूप से काटे गए वृक्षों की संख्या के दस गुना वृक्षों के लिए ब्लाक पौधारोपण की राशि वन विभाग में जमा की जाएगी।

यदि अवैध कटाई का अपराध आईएफए 1927 के अन्तर्गत आता है तो विभाग वन अधिकारी द्वारा प्रति वृक्ष 25000 रूपये की वसूली की जा सकती है। इस स्थिति में भी लकडी को विभाग के पक्ष में जब्त

किया जाएगा और वृक्ष संरक्षण के लिए दस गुना वृक्षों की संख्या के लिए वृक्ष सुरक्षा पौधारोपण की राशि वन विभाग में जमा की जाएगी।

उक्त से स्पष्ट है कि, 13 वृक्षों के अवैध पातन की प्रक्रिया में जहां उ०प्र० सहकारी गन्ना समिति संघ लि० के अधिकारी एवं कर्मचारी पूर्णतया सम्मिलित रहीं हैं वहीं दूसरी ओर वन विभाग के वन दरोगा व क्षेत्रीय बनाधिकारी जांच के समय उक्त समस्त घटनाओं की ओर आंख मूदे रहे और शिकायत के समय फोटो को संज्ञान में नहीं लिया गया का उल्लेख कर याचिका दायर की गई है।

श्री महेन्द्र पाल सिंह, डी0–636 / 102, जयनगर तकरोही, जिला लखनऊ द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में उक्त याचिका योजित की गयी। मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 22.12.2025 को आदेश पारित किया गया।

मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.12.2025 के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ (प्रतिवादी संख्या–3) द्वारा उक्त प्रकरण की जॉच हेतु प्रभागीय कार्यालय की पत्र संख्या–5840 / 35–3 दिनांक 21.01.2026 द्वारा श्री महेन्द्र पाल सिंह (शिकायतकर्ता / याची) एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी, मोहनलालगंज एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी, मलिहाबाद रेंज को संयुक्त जॉच करने हेतु दिनांक 27.01.2026 को समय पूर्वान्ह 11:00 बजे निर्धारित किया गया। उप प्रभागीय वनाधिकारी, मोहनलालगंज द्वारा संयुक्त जॉच कर अपने पत्र संख्या–3733 / 35–3 दिनांक 27.01.2026 द्वारा प्रकरण की जॉच आख्या प्रस्तुत की गयी, प्रस्तुत आख्या के अनुसार प्रकरण में कार्यालय उ०प्र० सहकारी गन्ना समिति संघ लि0, 12 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या–126–27 दिनांक 14.07.2023 **(संलग्नक–1)** द्वारा पत्र प्रेषित करते हुए अवगत कराया गया कि संस्थान के भवन के छतों पर पीपल के पेड़ एवं जंगली पेड़ो ने विकराल रूप धारण कर लिया है, जिसकी जड़ें छतो से होते हुए दीवार के अन्दर चली गई हैं, जिससे भवन अत्यधिक क्षति हो रही है तथा कार्यालय के मुख्य गेट एवं कार्यालय के बाउण्ड्री से सटे हुए यूकेलिप्टस के पेड़ जो अत्यधिक बड़े होने के कारण किसी भी समय कार्यालय की दीवार पर गिर सकता है, कार्यालय की क्षति होने की पूर्ण सम्भावना है। संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० सहकारी गन्ना समिति संघ लि0, द्वारा कार्यालय का निरीक्षण कर वृक्षों की कटाई इत्यादि करवाने हेतु अनुरोध किया गया। जिसके क्रम में जांचोपरान्त प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या–1299 / 22–10 दिनांक 16.08.2023 **(संलग्नक–2)** के माध्यम से कार्यालय परिसर में स्थित 04 हरे खड़े वृक्षों की शाखतरासी की अनुमति दी गयी, जिसमें 02 पेड़ पीपल, 01 पेड़ आम एवं 01 पेड़ सेमल थे, जिनकी शाखतरासी हेतु अनुमति दिनांक 10.09.2023 तक विधिमान्य होगी, प्रदान किया गया तथा संस्थान के बाहर स्थित 09 वृक्षों के शाखतरासी की अनुमति प्रभागीय कार्यालय के पत्रांक–1300 / 22–10 दिनांक 16.08.2023 **(संलग्नक–3)** द्वारा प्रभागीय लौंगिग प्रबन्धक, उ0प्र0, वन निगम को दी गयी।

श्री महेन्द्र पाल सिंह निवासी, डी0–636/2, जय नगर तकरोही, लखनऊ मो0नं0–7388980522 द्वारा उ0प्र0 सहकारी गन्ना समिति संघ लि0, 12 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ कार्यालय के परिसर में लगे पेड़ों की कटाई एवं छंटाई का कार्य वन अधिनियम के प्राविधानों के विपरीत किये जाने के संबंध में दिनांक रहित शिकायती पत्र **(संलग्नक–4)** जो प्रभागीय कार्यालय में दिनांक 25.11.2023 को प्राप्त हुआ। उक्त के क्रम में क्षेत्रीय वन अधिकारी, शहरी रेंज को जाँच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये गये। जाँचोपरान्त पाया गया कि परिसर में बिना अनुमति के 02 नीम वृक्षों का अवैध पातन, 01 वृक्ष गूलर का 06 फिट ऊपर से तथा 01 वृक्ष अशोक 10 फिट ऊपर से काटा गया, जिस पर विभागीय विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त अभिलाश कांत शर्मा पुत्र स्व0 हरीकांत शर्मा, लिपिक, उ0प्र0 सहकारी गन्ना समिति संघ लि0, लखनऊ के विरूद्ध शहरी रेंज केस संख्या–12/2023–24 दिनांक 02.12.2023, उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण, 1976 (यथासंशोधित) की धारा–4 व 10 तथा उ०प्र० इमारती लकड़ी एवं अन्य वन उपज अभिवहन नियमावली 1978 (यथासंशोधित) की धारा 3 व 28 में इजरा कर विधिक कार्यवाही की गयी तथा अभियुक्त से प्रतिकर स्वरूप रू0 12,000.00 (बारह हजार मात्र) वसूल किया गया''।

उप प्रभागीय वनाधिकारी, मोहनलालगंज द्वारा की गयी संयुक्त जॉच दिनांक 27.01.2026 की आख्या के आधार पर स्थिति निम्न प्रकार है, पर प्रस्तरवार आख्या–

1–प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ के पत्रांक–1299/22–10 दिनांक 16.08.2023 द्वारा 04 वृक्षों की शाखतरासी की अनुमति दी गई थी, जिसमें 02 वृक्ष पीपल भवन दीवार पर उगे थे, 01 वृक्ष आम की शाख–तराशी की गयी, उक्त आम वृक्ष रोगग्रस्त होकर मौके पर सूखा खड़ा है तथा सेमल का वृक्ष मौके पर हरा खड़ा है। वृक्षों की शाखतरासी के उपरान्त 02 अन्य वृक्षों का अवैध पातन व 02 वृक्षों की अवैध पोलार्डिंग की गयी, जिस पर संबंधित बीट प्रभारी द्वारा उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 (यथासंशोधित) की धारा–4, 10 तथा अवैध अभिवहन के लिए उ0प्र0 अभिवहन नियमावली, 1978 की धारा 3 व 28 के अन्तर्गत प्राथमिक अपराध रिपोर्ट (एच–2 केस) दर्ज किया गया, जिन वृक्षों का अवैध पातन किया गया उनके ठूंठ साक्ष्य के रूप में पाये गये व जिन वृक्षों की अवैध पोलार्डिंग की गयी थी वह मौके पर हरे खड़े हैं। उक्त के अतिरिक्त स्थल पर बाउण्ड्री के बाहर कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ के पत्रांक–1300/22–10 दिनांक 16.08.2023 द्वारा उ0प्र0 वन निगम को 09 वृक्षों (यूकेलिप्टस व अन्य) की शाखतरासी/पोलार्डिंग की अनुमति दी गयी थी। **अतः यह कथन कि 13 वृक्षों का अवैध पातन किया गया है, सत्य नहीं है, जिन वृक्षों का अवैध पातन किया गया, उन पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी।**

2– श्री महेन्द्र पाल सिंह निवासी, डी0–636/2, जय नगर तकरोही, लखनऊ मो0नं0–7388980522 द्वारा उ0प्र0 सहकारी गन्ना समिति संघ लि0, 12 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ कार्यालय के परिसर में लगे पेड़ों की कटाई एवं छंटाई का कार्य वन अधिनियम के प्राविधानों के विपरीत किये जाने के संबंध में दिनांक

रहित शिकायती पत्र जो प्रभागीय कार्यालय में दिनांक 25.11.2023 को प्राप्त हुआ। उक्त के क्रम में क्षेत्रीय वन अधिकारी, शहरी रेंज को जाँच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये गये। जाँचोपरान्त पाया गया कि परिसर में बिना अनुमति के 02 नीम वृक्षों का अवैध पातन, 01 वृक्ष गूलर का 06 फिट ऊपर से तथा 01 वृक्ष अशोक 10 फिट ऊपर से काटा गया, जिस पर विभागीय विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त अभिलाश कांत शर्मा पुत्र स्व0 हरीकांत शर्मा, लिपिक, उ0प्र0 सहकारी गन्ना समिति संघ लि0, लखनऊ के विरूद्ध शहरी रेंज केस संख्या–12/2023–24 दिनांक 02.12.2023, उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण, 1976 (यथासंशोधित) की धारा–4 व 10 तथा उ०प्र० इमारती लकड़ी एवं अन्य वन उपज अभिवहन नियमावली 1978 (यथासंशोधित) की धारा 3 व 28 में इजरा कर विधिक कार्यवाही की गयी तथा अभियुक्त से मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के कार्यालय आदेश पत्रांक–278/ टी0सी0/22–20 दिनांक 15.09.2014 **(संलग्नक–5)** में निहित प्रावधिानों के अनुसार प्रतिकर स्वरूप रू0 12,000.00 (बारह हजार मात्र) वसूल किया गया'' जो नियमानुसार है।

3– प्रकरण में लिप्त कर्मचारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई, यह कथन सत्य नहीं है, जिस कर्मचारी द्वारा वृक्षों का अवैध पातन किया गया, उक्त कर्मचारी पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी। साथ ही विभागीय कार्यवाही हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ के स्तर से जारी पत्र संख्या–212/टी0सी0/35–1 दिनांक 21.12.2025 **(संलग्नक–06)** द्वारा आयुक्त, उ0प्र0, सहकारी गन्ना समिति संघ लि0, 12, राणा प्रताप मार्ग लखनऊ को इस आशय से प्रेषित किया गया कि उक्त प्रकरण में अपने स्तर से जांच कराकर संबंधित के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

4–यह कि 02 वृक्षों का अवैध पातन व 02 वृक्षों की पोलार्डिंग (यह वृक्ष उन वृक्षों से भिन्न हैं, जिनकी शाखतरासी की अनुमति दी गयी थी) का अपराध जांच अधिकारी के समक्ष बयान देकर उ0प्र0, सहकारी समिति गन्ना संस्थान संघ लि0 के लिपिक कर्मचारी अभिलांष कांत शर्मा द्वारा स्वीकार किया गया। विभाग द्वारा अभियुक्त पर विधिक कार्यवाही करते हुए सुसंगत धाराओं में उपरोक्तानुसार प्रतिकर वसूला गया।

5–यह कि शिकायतकर्ता द्वारा जिस दुग्ध वाहन को दर्शाया गया है, जॉच करने पर मौके पर नहीं पाया गया। उ0प्र0 सहकारी गन्ना समिति संघ लि0 के लिपिक कर्मचारी अभिलाष कांत शर्मा द्वारा अपराध स्वीकार किया गया, जिस क्रम में एच–2 केस इजरा कर 02 वृक्षों का अवैध पातन, 02 वृक्षों की पोलार्डिंग व अवैध अभिवहन किये जाने पर नियमानुसार प्रतिकर वसूला गया। उक्त कार्यवाही उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियिम, 1976 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत व उ0प्र0 अभिवहन नियमावली, 1978 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत की गयी है।

6–यह कि शिकायतकर्ता/याची द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के जिन आदेशों का उल्लेख किया गया है, ताज ट्रैपेजियम जोन (टी0टी0जेड0) के संबंध में जैसा कि 01 पेड़ के वदले 10 गुना वृक्ष लगाये जाने हेतु क्षतिपूरक व्यय लिये जाने के संबंध में उल्लेख किया गया है, के कम में अवगत कराना है कि अवध वन प्रभाग, लखनऊ ताज ट्रैपेजियम जोन (टी0टी0जेड0) से आच्छादित नहीं है। अतः उक्त प्राविधान यहां लागू नहीं होता है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी,	उप प्रभागीय वनाधिकारी,	प्रभागीय वनाधिकारी,
शहरी रेंज।	मोहनलालगंज।	अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–641/2025 एम0पी0 सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.12.2025 के कम में प्रस्तरवार आख्या–

श्री महेन्द्र पाल सिंह, डी0–636/102, जयनगर तकरोही, जिला लखनऊ द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में उक्त याचिका योजित की गयी। मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 22.12.2025 को आदेश पारित किया गया।

मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.12.2025 के कम में प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ (प्रतिवादी संख्या–3) द्वारा उक्त प्रकरण की जॉच हेतु प्रभागीय कार्यालय की पत्र संख्या–5840/35–3 दिनांक 21.01.2026 द्वारा श्री महेन्द्र पाल सिंह (शिकायतकर्ता/याची) एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी, मोहनलालगंज एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी, मलिहाबाद रेंज को संयुक्त जॉच करने हेतु दिनांक 27.01.2026 को समय पूर्वान्ह 11:00 बजे निर्धारित किया गया। उप प्रभागीय वनाधिकारी, मोहनलालगंज द्वारा संयुक्त जॉच कर अपने पत्र संख्या–3733/35–3 दिनांक 27.01.2026 द्वारा प्रकरण की जॉच आख्या प्रस्तुत की गयी, प्रस्तुत आख्या के अनुसार प्रकरण में कार्यालय उ०प्र० सहकारी गन्ना समिति संघ लि0, 12 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या–126–27 दिनांक 14.07.2023 (संलग्नक–1) द्वारा पत्र प्रेषित करते हुए अवगत कराया गया कि संस्थान के भवन के छतों पर पीपल के पेड़ एवं जंगली पेड़ो ने विकराल रूप धारण कर लिया है, जिसकी जड़ें छतो से होते हुए दीवार के अन्दर चली गई हैं, जिससे भवन अत्यधिक क्षति हो रही है तथा कार्यालय के मुख्य गेट एवं कार्यालय के बाउण्ड्री से सटे हुए यूकेलिप्टस के पेड़ जो अत्यधिक बड़े होने के कारण किसी भी समय कार्यालय की दीवार पर गिर सकता है, कार्यालय की क्षति होने की पूर्ण सम्भावना है। संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० सहकारी गन्ना समिति संघ लि0, द्वारा कार्यालय का निरीक्षण कर वृक्षों की कटाई इत्यादि करवाने हेतु अनुरोध किया गया। जिसके क्रम में जांचोपरान्त प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या–1299/22–10 दिनांक 16.08.2023 (संलग्नक–2) के माध्यम से कार्यालय परिसर में स्थित 04 हरे खडे वृक्षों की शाखतरासी की अनुमति दी गयी, जिसमें 02 पेड़ पीपल, 01 पेड़ आम एवं 01 पेड़ सेमल थे, जिनकी शाखतरासी हेतु अनुमति दिनांक 10.09.2023 तक विधिमान्य होगी, प्रदान किया गया तथा संस्थान

के बाहर स्थित 09 वृक्षों के शाखतरासी की अनुमति प्रभागीय कार्यालय के पत्रांक–1300/22–10 दिनांक 16.08.2023 **(संलग्नक–3)** द्वारा प्रभागीय लौंगिग प्रबन्धक, उ0प्र0, वन निगम को दी गयी।

श्री महेन्द्र पाल सिंह निवासी, डी0–636/2, जय नगर तकरोही, लखनऊ मो0नं0–7388980522 द्वारा उ0प्र0 सहकारी गन्ना समिति संघ लि0, 12 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ कार्यालय के परिसर में लगे पेड़ों की कटाई एवं छंटाई का कार्य वन अधिनियम के प्राविधानों के विपरीत किये जाने के संबंध में दिनांक रहित शिकायती पत्र **(संलग्नक–4)** जो प्रभागीय कार्यालय में दिनांक 25.11.2023 को प्राप्त हुआ। उक्त के क्रम में क्षेत्रीय वन अधिकारी, शहरी रेंज को जाँच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये गये। जाँचोपरान्त पाया गया कि परिसर में बिना अनुमति के 02 नीम वृक्षों का अवैध पातन, 01 वृक्ष गूलर का 06 फिट ऊपर से तथा 01 वृक्ष अशोक 10 फिट ऊपर से काटा गया, जिस पर विभागीय विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त अभिलाश कांत शर्मा पुत्र स्व0 हरीकांत शर्मा, लिपिक, उ0प्र0 सहकारी गन्ना समिति संघ लि0, लखनऊ के विरूद्ध शहरी रेंज केस संख्या–12/2023–24 दिनांक 02.12.2023, उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण, 1976 (यथासंशोधित) की धारा–4 व 10 तथा उ०प्र० इमारती लकड़ी एवं अन्य वन उपज अभिवहन नियमावली 1978 (यथासंशोधित) की धारा 3 व 28 में इजरा कर विधिक कार्यवाही की गयी तथा अभियुक्त से प्रतिकर स्वरूप रू0 12,000.00 (बारह हजार मात्र) वसूल किया गया''।

<u>उप प्रभागीय वनाधिकारी, मोहनलालगंज द्वारा की गयी संयुक्त जॉच</u> **दिनांक 27.01.2026** <u>की आख्या के आधार पर स्थिति निम्न प्रकार है, पर प्रस्तरवार आख्या–</u>

1–प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ के पत्रांक–1299/22–10 दिनांक 16.08.2023 द्वारा 04 वृक्षों की शाखतरासी की अनुमति दी गई थी, जिसमें 02 वृक्ष पीपल भवन दीवार पर उगे थे, 01 वृक्ष आम की शाख–तराशी की गयी, उक्त आम वृक्ष रोगग्रस्त होकर मौके पर सूखा खड़ा है तथा सेमल का वृक्ष मौके पर हरा खड़ा है। वृक्षों की शाखतरासी के उपरान्त 02 अन्य वृक्षों का अवैध पातन व 02 वृक्षों की अवैध पोलार्डिंग की गयी, जिस पर संबंधित बीट प्रभारी द्वारा उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 (यथासंशोधित) की धारा–4, 10 तथा अवैध अभिवहन के लिए उ0प्र0 अभिवहन नियमावली, 1978 की धारा 3 व 28 के अन्तर्गत प्राथमिक अपराध रिपोर्ट (एच–2 केस) दर्ज किया गया, जिन वृक्षों का अवैध पातन

किया गया उनके ठूंठ साक्ष्य के रूप में पाये गये व जिन वृक्षों की अवैध पोलार्डिंग की गयी थी वह मौके पर हरे खड़े हैं। उक्त के अतिरिक्त स्थल पर बाउण्ड्री के बाहर कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ के पत्रांक–1300/22–10 दिनांक 16.08.2023 द्वारा उ0प्र0 वन निगम को 09 वृक्षों (यूकेलिप्टस व अन्य) की शाखतरासी/पोलार्डिंग की अनुमति दी गयी थी। **अतः यह कथन कि 13 वृक्षों का अवैध पातन किया गया है, सत्य नहीं है, जिन वृक्षों का अवैध पातन किया गया, उन पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी।**

2– श्री महेन्द्र पाल सिंह निवासी, डी0–636/2, जय नगर तकरोही, लखनऊ मो0नं0–7388980522 द्वारा उ0प्र0 सहकारी गन्ना समिति संघ लि0, 12 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ कार्यालय के परिसर में लगे पेड़ों की कटाई एवं छंटाई का कार्य वन अधिनियम के प्राविधानों के विपरीत किये जाने के संबंध में दिनांक रहित शिकायती पत्र जो प्रभागीय कार्यालय में दिनांक 25.11.2023 को प्राप्त हुआ। उक्त के क्रम में क्षेत्रीय वन अधिकारी, शहरी रेंज को जाँच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये गये। जाँचोपरान्त पाया गया कि परिसर में बिना अनुमति के 02 नीम वृक्षों का अवैध पातन, 01 वृक्ष गूलर का 06 फिट ऊपर से तथा 01 वृक्ष अशोक 10 फिट ऊपर से काटा गया, जिस पर विभागीय विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त अभिलाश कांत शर्मा पुत्र स्व0 हरीकांत शर्मा, लिपिक, उ0प्र0 सहकारी गन्ना समिति संघ लि0, लखनऊ के विरूद्ध शहरी रेंज केस संख्या–12/2023–24 दिनांक 02.12.2023, उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण, 1976 (यथासंशोधित) की धारा–4 व 10 तथा उ०प्र० इमारती लकड़ी एवं अन्य वन उपज अभिवहन नियमावली 1978 (यथासंशोधित) की धारा 3 व 28 में इजरा कर विधिक कार्यवाही की गयी तथा अभियुक्त से मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के कार्यालय आदेश पत्रांक–278/ टी0सी0/22–20 दिनांक 15. 09.2014 **(संलग्नक–5)** में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रतिकर स्वरूप रू0 12,000.00 (बारह हजार मात्र) वसूल किया गया" जो नियमानुसार है।

3– प्रकरण में लिप्त कर्मचारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई, यह कथन सत्य नहीं है, जिस कर्मचारी द्वारा वृक्षों का अवैध पातन किया गया, उक्त कर्मचारी पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी। साथ ही विभागीय कार्यवाही हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ के स्तर से जारी पत्र संख्या–212/टी0सी0/35–1 दिनांक 21.12.2025 **(संलग्नक–06)** द्वारा आयुक्त, उ0प्र0, सहकारी

गन्ना समिति संघ लि0, 12, राणा प्रताप मार्ग लखनऊ को इस आशय से प्रेषित किया गया कि उक्त प्रकरण में अपने स्तर से जांच कराकर संबंधित के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

4–यह कि 02 वृक्षों का अवैध पातन व 02 वृक्षों की पोलार्डिंग (यह वृक्ष उन वृक्षों से भिन्न हैं, जिनकी शाखतरासी की अनुमति दी गयी थी) का अपराध जांच अधिकारी के समक्ष बयान देकर उ0प्र0, सहकारी समिति गन्ना संस्थान संघ लि0 के लिपिक कर्मचारी अभिलांष कांत शर्मा द्वारा स्वीकार किया गया। विभाग द्वारा अभियुक्त पर विधिक कार्यवाही करते हुए सुसंगत धाराओं में उपरोक्तानुसार प्रतिकर वसूला गया।

5–यह कि शिकायतकर्ता द्वारा जिस दुग्ध वाहन को दर्शाया गया है, जॉच करने पर मौके पर नहीं पाया गया। उ0प्र0 सहकारी गन्ना समिति संघ लि0 के लिपिक कर्मचारी अभिलाष कांत शर्मा द्वारा अपराध स्वीकार किया गया, जिस कम में एच–2 केस इजरा कर 02 वृक्षों का अवैध पातन, 02 वृक्षों की पोलार्डिंग व अवैध अभिवहन किये जाने पर नियमानुसार प्रतिकर वसूला गया। उक्त कार्यवाही उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियिम, 1976 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत व उ0प्र0 अभिवहन नियमावली, 1978 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत की गयी है।

6–यह कि शिकायतकर्ता/याची द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के जिन आदेशों का उल्लेख किया गया है, ताज ट्रैपेजियम जोन (टी0टी0जेड0) के संबंध में जैसा कि 01 पेड़ के बदले 10 गुना वृक्ष लगाये जाने हेतु क्षतिपूरक व्यय लिये जाने के संबंध में उल्लेख किया गया है, के क्रम में अवगत कराना है कि अवध वन प्रभाग, लखनऊ ताज ट्रैपेजियम जोन (टी0टी0जेड0) से आच्छादित नहीं है। अतः उक्त प्राविधान यहां लागू नहीं होता है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी, शहरी	उप प्रभागीय वनाधिकारी, मोहनलालगंज।	प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

संलग्नक-1

कार्यालय उत्तर प्रदेशीय सहकारी गन्ना समिति संघ लि0,
12, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ–226001
दूरभाष 0522–2207871
E-mail gannasangh@yahoo.in

पत्रांक 126-27 / सामान्य दिनांक 14, जुलाई, 2023

प्रभागीय वन अधिकारी,
अवध वन प्रभाग,
21 / 475 इन्दिरा नगर,
लखनऊ।

विषयः– कार्यालय परिसर एवं भवन की छतो पर उगे वृक्षों की कटाई हेतु।

अवगत कराना है कि कार्यालय उत्तर प्रदेशीय सहकारी गन्ना समिति संघ लि., 12 राणा प्रताप मार्ग लखनऊ के भवन की छतो परं पीपल के पेड़ एवं जगली पेड़ों ने विकराल रूप धारण कर लिया है। जिसकी जड़े छतो से होते हुये दीवारें के अन्दर चली गयी है। जिससे भवन की अत्याधिक क्षति हो रही है साथ ही यह भी अवगत कराना है कि कार्यालय के मुख्य गेट एवं कार्यालय की बाउन्ड्री से सटे यूकेलिप्टिस के पेड़ जो अत्याधिक बड़े होने के कारण किसी भी समय तेज हवा से कार्यालय की दीवार पर गिर सकता है जिससे कार्यालय के क्षति होने की पूर्ण सम्भावना है।

कृपया आप अपने स्तर से कार्यालय का निरीक्षण कर वृक्षों की कटाई इत्यादि की कार्यवाही करने का कष्ट करे।

संलग्न–वृक्षों की छाया चित्र 9

14/07/23
(राजेश धर द्विवेदी)
संयुक्त प्रबन्ध निदेशक
गन्ना संघ।

प्रतिलिपि–अधिशासी अभियन्ता, कार्यालय उप गन्ना आयुक्त परिक्षेत्र–लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक 540 /22–10, लखनऊ, दिनांक 19/07/ 2023 ।

प्रतिलिपि –निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विषयक स्थल पर स्थित वृक्षों का निरीक्षण/जॉच कर "जॉच आख्या" मयस्वामित्व संस्तुति सहित मूल्यांकन सूची मयसारांश एवं सम्बन्धित वृक्ष की स्पष्ट रंगीन फोटोग्राफ व आवेदक की आई0डी0 संलग्न कर उप प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:–

1. उप प्रभागीय वनाधिकारी
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी
अवध वन प्रभाग लखनऊ।
21/475, इन्दिरानगर, लखनऊ

ई-मेल :- dfolucknow@gmail.com

संलग्नक-2

संलग्नक - 07

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
पत्रांक 1299 /22–10, लखनऊ, दिनांक 16/08/2023।

सेवा में,

संयुक्त प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेशीय सहकारी गन्ना समिति संघ लि0
12, राणा प्रताप मार्ग लखनऊ।

विषय:– कार्यालय परिसर में स्थित 04 हरे खड़े वृक्षों की साख–तराशी अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:– आपका पत्रांक–126–127/सामान्य, दिनांक 14.07.2023।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में मौके स्थल पर स्थित 04 हरे खड़े वृक्षों की जाँच क्षेत्रीय वन अधिकारी शहरी एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी मोहनलालगंज द्वारा करायी गयी, उनकी जाँच आख्या के अनुसार 02 पीपल, 01 आम एवं 01 सेमल (कुल 04) हरे खड़े वृक्षों की शाखाएं शाखाएं खतरनाक रूप से फैली पायी गयी है। उक्त वृक्षों पर गन्ना समिति संघ का स्वामित्व है।

उप प्रभागीय वनाधिकारी, मोहनलालगंज एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी शहरी की जांच आख्या के अनुसार 02 पीपल, 01 आम एवं 01 सेमल (कुल 04) हरे खड़े वृक्षों की चिन्हित की गयी (गोलाई 35 सेमी0) तक खतरनाक शाखाओं की शाख–तरासी हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। किसी भी दशा में उक्त वृक्षों का अवैध पातन नहीं किया जायेगा, मात्र वृक्षों की आवश्यकतानुसार शाखाएं जो वास्तव में खतरनाक फैली है, को ही शाख–तराशी की जाएगी। वृक्षों का स्वरूप नष्ट न होने पाये। शाख–तराशी से प्राप्त प्रकाष्ठ के अभिवहन हेतु उ0प्र0 इमारती लकड़ी एवं अन्य वन उपज अभिवहन नियमावली 1978 (यथा–संशोधित) में दिये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अथवा अवैध कटान होने पर पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

उक्त 04 हरे खड़े वृक्षों की साख–तरासी हेतु अनुमति दिनाँक 10–09–2023 तक विधिमान्य होगी।

(हस्ताक्षर)
(डा0 रवि कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग,लखनऊ।

पत्रांक 1299 /22–10, तद्दिनाँकित.

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. उप प्रभागीय वनाधिकारी, मोहनलालगंज।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, शहरी को उनकी संस्तुति पत्र सं0–150/22–10, दिनांक 09.08.2023 के क्रम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त वृक्षों का अवैध पातन न होने पावे।

(हस्ताक्षर)
(डा0 रवि कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग,लखनऊ।

D:\PG5-Awadh Div\Revenue Branch\Revenu 2018\Shaak Tarash Edited By op singh

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय दूरभाष सं0: 0522-2716723
ई-मेल : dfolucknow@gmail.com
dfolu-up@nic.in

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांक /22-10(शाख-तरासी), लखनऊ, दिनाँक 16/08/2023।

सेवा में,

प्रभागीय लौगिंग प्रवन्धक,
उ0प्र0 वन निगम
लखनऊ।

विषयः- राज्य सम्पत्ति के स्वामित्व वाले वृक्षों की साख-तरासी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र के कम में जॉच रिपोर्ट की छायाप्रतियॉ संलग्न कर इस अनुरोध से प्रेषित है कि कृपया व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करते हुए संलग्न निम्न विवरण के अनुसार वृक्षों की शाख-तरासी करवाने का कष्ट करें:-

1. आ0सं0-11एन.डी.आर.एम. रोड लखनऊ।
2. 33 गुलिस्ता कालोनी लखनऊ।
3. प्रदेशीय सहकारी गन्ना समिति संघ लि0 12 राणाप्रताप मार्ग लखनऊ।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0 रवि कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग लखनऊ।

पत्रांक- /22-10 (शाख-तरासी) तद्दिनाँकित।

प्रतिलिपि-निम्न को उक्त के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. श्री केतकी सिंह, विधायक, भाजपा 362 बॉसडीह, बलिया निवास-33 राजकीय गुलिस्ता कालोनी लखनऊ को उनके पत्र दिनांक रहित के कम में।
2. संयुक्त प्रवन्ध निदेशक, उ0प्रदेशीय सहकारी गन्ना समिति संघ लि0 12 राणा प्रताप मार्ग लखनऊ के उनकी पत्र सं0-126-27/सामान्य, दिनांक 14.07.2023.

(डा0 रवि कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग लखनऊ।

पत्रांक- 1300 /22-10 (शाख-तरासी) तद्दिनाँकित.

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को उक्त के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. उप प्रभागीय वनाधिकारी, मोहनलालगंज को उनकी संस्तुति के कम में।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी शहरी को उनकी संस्तुति पत्र सं0-139, 141 व 150/22-10, दिनांक 07.08.2023।

से० अ० हजरतगंज
नोटकरें
RFO

(डा0 रवि कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग लखनऊ।

350/22
17/8/23

संलग्नक-4

सेवा मे
जिला वनाधिकारी
अवध वन प्रभाग
अरण्य विकास भवन
21/475 इन्दिरा नगर

विषयः उ.प्र. सहकारी गन्ना समिति संघ लि. 12 राणा प्रताप मार्ग लखनऊ के कार्यालय परिसर में लगे पेड़ों की छटाई एवं कटाई का कार्य वन अधिनियम के प्राविधानों के विपरीत किये जाने के संदर्भ में विधिक कार्यवाही करने का अनुरोध।

महोदय,

आपको विनम्रता पूर्वक अवगत कराना है कि उ.प्र. सहकारी गन्ना समिति संघ लि. 12 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ के परिसर में लगे पेड़ों की छटाई हेतु वन विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार छटाई करने की अनुमति माह सितम्बर 2023 में दी गयी थी। वन विभाग द्वारा दी गयी अनुमति के कम में निर्धारित मानकों के अन्तर्गत पेडों की छटाई करायी जानी थी,किन्तु विभागीय कर्मचारियो द्वारा जहाँ एक ओर निर्धारित मानकों के विपरीत पेडो की छटाई की गयी वही दूसरी ओर इस स्वीकृति की आड में कतिपय पेडो को जड से काटने की अनुमति आप द्वारा नही दी गई थी।

उक्त से स्पष्ट है कि वन अधिनियम के प्राविधानो के विपरीत पेडों की छटाई के स्थान पर जड से काटने का कार्य किया गया । जबकि पेडो की छटाई एवं जड से कटाने का कार्य किया गया है।पेडो की छटाई एवं कटाई से संबधित फोटोग्राफ इस पत्र के साथ इस अनुरोध सहित प्रेषित किये जा रहे हैं । कि कृपया इसकी गोपनीय तरीके से जाँच कराते हुये विधिक कार्यवाही कराने की कृपा करे। जिसे वन अधिनियम का पालन हो सके।

P.A-II
[illegible]
DFO
25/11/23

M.S.
(महेन्द्र पाल सिंह)
डी 636/102 जय नगर तकरोही
लखनऊ
मेबाईल न. 7388980522

[Stamp: [illegible] 1101 / 3311 / 28/11/2023]

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी अवध वन प्रभाग लखनऊ
पत्रांक 2561/T.C.-4 (32-1/224) दिनांक 25.11.2023

[illegible handwritten endorsement]

HFO

[illegible]
प्रभागीय वनाधिकारी

कार्यालय विभागीय अधिकारी अवध वन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ

पत्रांक /22-10(शाखा-तरासी), लखनऊ **दिनांक 16.08.2023**

सेवा में
जिला वन अधिकारी
अवध वन प्रभाग
अरण्य विकास भवन
21/475 इंदिरानगर

विषय: उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ लिमिटेड, 12 राणा प्रताप मार्ग लखनऊ के कार्यालय परिसर में लगे पेड़ों की छटाई एवं कटाई का कार्य वन अधिनियम के प्रावधनों के विपरीत किए जाने के संदर्भ में विधिक कार्यवाही करने का अनुरोध

महोदय
आपको विनम्रतापूर्वक अवगत कराना है की उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ लिमिटेड के परिसर में लगे पेड़ों की छटाई हेतु वन विभाग द्वारा निर्धारित मानको के अनुसार छटाई कराने की अनुमति माँ दिसंबर 2023 में दी गई थी। वन विभाग द्वारा दी गई अनुमति के क्रम में निर्धारित मानको के अंतर्गत पेड़ों की छटाई कराई जानी थी किन्तु विभागीय कर्मचारियों द्वारा जहाँ एक और निर्धारित मानको के विपरीत पेड़ों की छटाई की गई वहीं दूसरी ओर वन स्वीकृति की आड़ में पेड़ों को जड़ से काटने की अनुमति आप द्वारा नहीं दी गई थी।

उक्त से स्पष्ट है कि वन अधिनियम के प्रावधनों के विपरीत पेड़ों की कटाई के स्थान पर जड़ से काटने का कार्य किया गया। जबकि पेड़ों की छटाई एवं जड़ से काटने का कार्य किया गया है पेड़ों की छटाई एवं कटाई से संबंधित फोटोग्राफ इस पत्र के साथ इस अनुरोध सहित प्रेषित किया जा रहे हैं। की कृपया इनकी गोपनीय तरीके से जांच करते हुए विभाग कार्रवाई कराने की कृपा करें। जिससे वन अधिनियम का पालन हो सके।

महेन्द्र पाल सिंह
डी 636/102 जयनगर तकरोही
लखनऊ
मोबाइल नंबर 738898 0522

// True typed copy//

संलग्नक–5

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांकः 278TC /22–20 लखनऊ, दिनांकः सितम्बर 15 , 2014

कार्यालय आदेश

दिनांक 12.09.2014 को मण्डल के प्रभागीय वनाधिकारियों की आहूत बैठक में निजी भूमि पर स्थित पेड़ों के अवैध कटान पर चर्चा की गयी तथा पेड़ों के अवैध कटान के फलस्वरूप प्रशमन धनराशि संशोधित किये जाने पर सभी प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी। अतः इस कार्यालय के पत्र संख्या 258–टी0सी0/22–20 दिनांक 10.12.2013 द्वारा निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है:–

1. निजी भूमि पर स्थित वृक्षों के अवैध कटान में प्रतिबन्धित प्रजाति के वृक्षों (साल, सागौन, खैर व कलमी आम को छोड़कर) में न्यूनतम रू0 2500 प्रति वृक्ष की दर से मुआवजा वसूल किया जाये।
2. साल, सागौन व खैर वृक्षों के अवैध कटान पर न्यूनतम रू0 3500 प्रति वृक्ष की दर से मुआवजा वसूल किया जाये एवं कलमी आम के वृक्षों में न्यूनतम रू0 1500 प्रति वृक्ष की दर से मुआवजा वसूल किया जाये।
3. यदि किन्हीं कारण वश निर्धारित दर से मुआवजा वसूल नहीं हो पाता है कि संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी जॉच कर औचित्य स्पष्ट करते हुए अपनी आख्या वन अपराध में दर्ज करेंगे।
4. निर्धारित दर से कम मुआवजा वसूल किये जाने पर संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों की भूमिका की जॉच की जाये।
5. उक्त आदेश 01 अक्टूबर, 2014 से प्रभावी होगा।

कृपया दिये गये आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

T.C./570(m/c) कृ. आ. का. ...

(ईवा शर्मा)
मुख्य वन संरक्षक
लखनऊ मण्डल, उ0प्र0 लखनऊ।

संख्या 278TC /उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, लखनऊ मण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ईवा शर्मा)
मुख्य वन संरक्षक
लखनऊ मण्डल, उ0प्र0 लखनऊ।

D:\Circle Office\General_Letters\2014\September 14\44.doc

... लखनऊ।

संलग्नक-6

अरण्य विकास भवन, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
दूरभाष सं0: 0522-2716723
मो0नं0-7839435107, 8853878960
ई-मेल : dfolucknow@gmail.com

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

पत्रांक– 212 /T.C/35-1 लखनऊ,दिनांक,दिसम्बर, 21, 2023

सेवा में,

आयुक्त,
उ0प्र0, सहकारी गन्ना समिति संघ लिमिटेड,
12, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

विषयः– दिनांक 02.12.2023 को उ0प्र0 सहाकारी गन्ना समिति संघ लि0 12, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ में अवैघ रूप से वृक्षों के पातन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अवगत कराना है कि दिनांक 02.12.2023 को आपके अधीनस्थ उ0प्र0 सहाकारी गन्ना समिति संघ लि0 12, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ में 02 वृक्ष नीम का अवैध पातन एवं 01 वृक्ष गुलर एवं 01 वृक्ष अशोक की पोलार्डिंग अवैध रूप से बिना पातन अनुज्ञा प्राप्त किये की गई, जिसके कम में क्षेत्रीय वन अधिकारी, शहरी रेंज द्वारा रेंज केस संख्या–12/2023–24 दिनांक 02.12.2023 द्वारा आपके संस्थान के अधिकारी/कार्मिक अभिलाष कान्त शर्मा पुत्र स्व0 हरी कान्त शर्मा के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की गई।

इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि उक्त वन अपराध में अपने स्तर से संबंधित अधिकारी/कार्मिक के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 रवि कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

संख्या 212/T.C/ 2-1 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि–उप प्रभागीय वनाधिकारी, मोहनलालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– क्षेत्रीय वन अधिकारी, शहरी रेंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 रवि कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

1405/35-1
27/12/23

RFO